[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3008

06 f[illegible], 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए निधि

3008. श्री [illegible]
श्री[illegible]
श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, देश म विशेषकर जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों म रक्ताल्पता और खनिज तत्वों को कमी से उत्पन्न कई बीमारियों का सामना कर रहा ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण ह;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वष और चालू वष के दौरान देश म कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित को जा रही ह और प्रत्येक योजना के तहत जारी/खच को गई राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार राशि कितनी है; और

(घ) देश म रक्ताल्पता को महामारी और खनिज को कमी से उत्पन्न बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए ह तथा इसम कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है?

[illegible]त[illegible]

स[illegible]स्थ्य [illegible] [illegible]याण राज्य मंत्री (श्री [illegible]श्वे[illegible] [illegible])

(क) एवं (ख):

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सवक्षण (एनएफएचएस)-IV (2015-16) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों म 54.2% महिलाएं (15-49 वष) एवं 59.5% बच्चे (6-59 महीनों के) एनीमिया से ग्रस्त ह।
- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सवक्षण (2016-18) के अनुसार देश म 1-4 वष को आयु के 19% बच्चों 5-9 वष को आयु के 17% बच्चों और 10-19 वष को आयु के 32% किशोरों म जिक को कमी है।
- आहार म आयरन को अपयाप्तता गभावस्था या विकास काल के दौरान आयरन को बढ़ती हुई जरूरत माहवारी एवं पैर के कोड़ों से संक्रमण के परिणामस्वरूप आयरन को अत्यधिक क्षति एनीमिया के अत्यधिक क्षय के कारण ह।
- एनीमिया के अन्य मुख्य कारणों म हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे सिकल सेल एनीमिया थैलीसीमिया आदि मलेरिया एवं फ्लोरोसिस शामिल ह।

- एनएफएचएस-IV के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों म महिलाओं तथा बच्चों म एनीमिया को व्याप्तता के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-1 पर है।

(ग) और (घ): देश म एनीमिया के मामलों म कमी लाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं कायान्वित कर रही है। इन योजनाओं/ कायक्रमों के विवरण निम्नवत ह:-

- पूरे जीवन चरण म आयरन एवं फोलिक एसिड (आईएफए) द्वारा जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कायक्रम पद्धति म बच्चों (6-59 महीनों के) प्री स्कूल बच्चों (5-9 वष) किशोरियों तथा किशोरों (10-19 वष) गभवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं म और प्रजनन आयु समूह वाली महिलाओं (15-49 वष) म कितनी एनीमिया को रोकथाम तथा उपचार हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 'एनीमिया मुक्त भारत' कायनीति प्रारंभ को है।
- कायनीति के प्रारंभ होने के समय से विभिन्न काय गतिविधियां संचालित को गई ह। यह गतिविधियां दिशा निदशों एवं प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण पैकेजों, आपूति श्रंखला प्रबंधन निधारण, कायक्रम कवरेज को निगरानी एवं समीक्षा हेतु तिमाही डैशबोड रिपोट के रूप म ह।
- एनीमिया हेतु गभवती महिलाओं को वैश्विक जांच प्रसव पूव परिचया का एक भाग है और सभी गंभीर रूप से एनीमिया ग्रस्त महिलाओं को सूचीबद्ध किया जाता है तथा उच्च कद्रों म व्यापक प्रबंधन हेतु कारवाई को जाती है।
- दोनों स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और माता-बाल ट्रैकिग प्रणाली एनीमिया ग्रस्त मामलों एवं गंभीर रूप से एनीमिया ग्रस्त गभवती महिलाओं को रिपोट कर रही ह।
- मलेरिया महामारी ग्रस्त क्षेत्रों म मलेरिया के कारण विशेष रूप से गभवती महिलाओं एवं बच्चों म एनीमिया को समस्या से निपटने के लिए लंबे समय तक चलने वाली मच्छरदानियों (एलएलआईएन) तथा कोट मुक्त बिस्तर मच्छरदानियों (आईटीबीएन) का वितरण किया जा रहा है।
- आहार संबंधी विविधता को बढ़ावा देने आयरन फोलेट प्रचुर भोजन और आयरन उपभोग को बढ़ावा देने वाली खाद्य मदों को शामिल करने हेतु आईईसी एवं बीसीसी के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना।
- विविध प्रकार के आहार लेने और आईएफए के उपयोग को बढ़ावा देने पर गभवती महिलाओं को शिक्षित करने हेतु उन्ह सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित को जा रही है।
- पिछले 3 वर्षों एवं चालू वष के दौरान एनीमिया रोकथाम एवं नियंत्रण कायक्रम के लिए स्वीकृत एवं प्रयुक्त निधि का विवरण अनुलग्नक-2 पर है।

[illegible]-1

[illegible] 1: प्र[illegible] (15-49 [illegible]) को महिलाओं म राज्य[illegible] [illegible]-ग्र[illegible]

स्रो[illegible] -IV

क्र.[illegible]	[illegible] क्षेत्र	[illegible] (<12 [illegible]/[illegible])	[illegible] (10.0-11.9 [illegible]/[illegible])	[illegible] (7.0-9.9 [illegible]/[illegible])	[illegible] (<7.00 [illegible]/[illegible])
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	65.9	41.3	23.2	1.4
2	आंध्र प्रदेश	61.2	39.9	19.4	1.9
3	अरुणाचल प्रदेश	43.9	34.3	8.8	0.8
4	असम	46.3	37.3	8.4	0.6
5	बिहार	60.6	45.8	14.1	0.7
6	चंडीगढ़	92.3	76.9	15.4	0.0
7	छत्तीसगढ़	48.2	38.6	8.8	0.8
8	दादरा और नागर हवेली	86.6	63.8	21.5	1.3
9	दमन और दीव	56.3	43.1	11.3	1.9
10	गोवा	32.1	26.1	5.1	0.9
11	गुजरात	57.5	41.3	14.5	1.7
12	हरियाणा	63.9	43.1	19.3	1.5
13	हिमाचल प्रदेश	53.4	39.6	13.1	0.7
14	जम्मू और कश्मीर	48.5	32.5	14.5	1.5
15	झारखंड	67.3	50.2	16.2	0.9
16	कनाटक	46.2	33.5	11.5	1.2
17	केरल	32.6	28.1	4.1	0.4
18	लक्षद्वीप	51.6	35.0	16.1	0.5
19	मध्य प्रदेश	53.8	40.2	12.5	1.1
20	महाराष्ट्र	47.8	36.2	10.6	1.0
21	मणिपुर	26.3	22.1	3.9	0.3
22	मेघालय	59.6	40.5	17.6	1.5
23	मिजोरम	30.0	25.7	4.2	0.1
24	नागालड	29.5	22.8	5.8	0.9
25	दिल्ली	78.0	43.7	32.0	2.3
26	ओडिशा	51.8	40.8	10.2	0.8
27	पुदुच्चेरी	54.8	41.4	12.3	1.1
28	पंजाब	54.3	42.6	11.2	0.5
29	राजस्थान	49.0	35.7	12.1	1.2
30	सिक्किम	35.1	27.2	7.3	0.6
31	तमिलनाडु	56.8	40.6	14.4	1.8
32	त्रिपुरा	54.1	42.2	11.4	0.5
33	उत्तर प्रदेश	52.3	38.6	12.6	1.1
34	उत्तराखंड	46.2	34.6	10.3	1.3
35	पश्चिम बंगाल	64.3	50.4	13.2	0.7

36	तेलंगाना	58.1	37.3	18.3	2.5
	□□□□ □□□□	54.2	40.3	12.8	1.1

□□□□□ 2: (6-59 □□□) □□□च□ों म राज्य□□□ □□□□□□□ व□□ण□□□-ग्र□□□□

स्रो□ □□□□□□□□-IV

क्र.□□	□□ज□ □□□□□ □□ज□ क्षेत्र	□□□ (< 11 □□□□/□□□□)	□द□□ (<7.00 □□□□/□□□□)	□ □□ (10.0-10.9 □□□□/□□□□)	□□□□ (7.0-9.9 □□□□/□□□□)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.0	0.8	22.5	26.7
2	आंध्र प्रदेश	60.8	2.3	30.6	27.9
3	अरुणाचल प्रदेश	55.0	1.1	24.2	29.7
4	असम	36.5	0.4	11.7	24.4
5	बिहार	64.0	1.3	32.2	30.5
6	चंडीगढ़	100.0	12.5	62.5	25.0
7	छत्तीसगढ़	41.2	0.5	17.0	23.7
8	दादरा और नागर हवेली	87.7	2.2	51.5	34.0
9	दमन और दीव	76.7	1.3	35.5	39.9
10	गोवा	41.2	0.5	14.8	25.9
11	गुजरात	64.5	1.9	30.7	31.9
12	हरियाणा	73.0	3.2	41.3	28.5
13	हिमाचल प्रदेश	53.3	2.5	28.1	22.7
14	जम्मू और कश्मीर	55.6	2.6	30.9	22.1
15	झारखंड	71.5	1.1	38.4	32.0
16	कनाटक	63.4	1.0	30.3	32.1
17	केरल	35.9	0.4	12.9	22.6
18	लक्षद्वीप	67.2	0.0	30.0	37.2
19	मध्य प्रदेश	69.8	1.9	38.1	29.8
20	महाराष्ट्र	54.0	0.8	25.5	27.7
21	मणिपुर	23.3	0.2	6.8	16.3
22	मेघालय	48.9	0.6	17.8	30.5
23	मिजोरम	24.5	0.9	8.0	15.6
24	नगालड	28.0	0.4	11.4	16.2
25	दिल्ली	88.2	8.7	57.5	22.0
26	ओडिशा	45.6	0.9	19.7	25.0
27	पुदुच्चेरी	48.5	0.7	16.3	31.5
28	पंजाब	57.1	1.1	28.1	27.9
29	राजस्थान	61.6	2.0	32.5	27.1
30	सिक्किम	52.7	0.5	20.7	31.5
31	तमिलनाडु	52.5	1.3	23.9	27.3
32	त्रिपुरा	49.2	0.3	18.8	30.1
33	उत्तर प्रदेश	62.6	2.1	33.9	26.6
34	उत्तराखंड	59.2	2.2	30.6	26.4
35	पश्चिम बंगाल	53.7	0.6	21.4	31.7
36	तेलंगाना	67.4	3.4	39.2	24.8

	□□□□ □□□□	59.5	1.5	29.8	28.2

□□□ग□□-2

□□□□□3 □□त□ □□ॉ (2016-17, 2017-18, 2018-19 □□ 2019-2020 □□□□ □□□□□□□ □□) □□□□ □□□□□□□ □□□□त्र□ □□ निगत एवं व्य□ □ो □□ □□□□ □□ □□□□□□

□□त□ □□ 2016-17 □□ 2019-20 तक एनएचएम के अंतगत एनीमिया हेतु राज्य कायक्रम कायान्व□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□व□□ □□□ज□□□□□ □□□□□□

(लाख रु. म)

क्र.□□	□□ज□	2016-17 (लाख रु. म)		2017-18 (लाख रु. म)		2018-19 (□□□ रु. □)		2019-20 □□□□ □□□□□□□ □□ (लाख रु. म)	
□. □च□ □□द्र□ □□ज□		□□□□□□□□	□क□.	□□□□□□□□	□क□.	□□□□□□□□	□क□.	□□□□□□□□	□क□.
1	बिहार	5856.69	268.77	4665.79	1670.42	13205.59	4029.99	12827.90	1096.17
2	छत्तीसगढ़	2784.50	633.34	4023.29	862.81	4041.01	610.77	3351.31	1134.99
3	हिमाचल प्रदेश	60.77	58.22	109.50	29.13	1727.14	1201.32	1207.60	340.85
4	जम्मू और कश्मीर	736.98	199.78	911.30	86.70	3160.14	2016.69	2311.87	682.90
5	झारखंड	2083.53	535.25	1417.08	1064.94	6524.48	5190.68	3791.72	1245.76
6	मध्य प्रदेश	2212.28	1551.86	2075.22	1077.63	10219.90	5954.13	10644.91	2323.41
7	ओडिशा	408.91	115.33	2535.50	1186.22	5498.59	2794.04	2462.95	183.23
8	राजस्थान	2273.28	802.37	1643.52	973.49	7828.55	7630.83	9040.06	1074.75
9	उत्तर प्रदेश	2765.30	2352.07	7189.98	1950.75	29094.66	21104.70	26713.02	3597.80
10	उत्तराखंड	133.28	192.28	490.89	339.49	1289.98	1498.70	1114.02	777.18
	□□ □□□	19315.52	6709.26	25062.07	9241.58	82590.04	52031.85	73465.36	12457.04
ख. पूर्वोत्त□ □□ज□									
11	अरुणाचल प्रदेश	61.11	109.02	692.11	192.45	457.03	273.75	651.03	37.86
12	असम	2528.34	875.24	2359.00	1122.00	6422.18	2442.58	4519.78	904.37
13	मणिपुर	172.62	155.34	188.13	60.27	404.71	278.77	529.57	57.14
14	मेघालय	470.40	492.83	1623.62	791.87	847.10	2331.98	839.31	149.94
15	मिजोरम	228.13	126.76	436.91	121.68	305.12	165.94	336.68	35.85
16	नगालड	160.49	115.37	312.61	436.35	413.91	217.30	488.86	40.05
17	सिक्किम	59.00	15.28	65.87	35.60	137.23	46.59	92.91	11.75
18	त्रिपुरा	88.07	177.72	501.98	189.33	869.09	543.74	529.08	109.61
	□□ □□□	3768.16	2067.56	6180.23	2949.56	9856.37	6300.63	7987.22	1346.56
□. □□-च□ □□द्र□ □□ज□									
19	आंध्र प्रदेश	1420.18	670.49	1847.01	1199.06	4661.23	3408.76	4671.53	1299.53
20	गोवा	57.66	43.00	96.86	62.59	194.96	103.43	131.94	42.29
21	गुजरात	2092.35	1970.50	2006.09	1777.60	4672.28	3684.33	4630.87	1366.57
22	हरियाणा	228.10	36.64	752.23	123.13	1696.82	767.90	1511.18	376.32
23	कनाटक	1435.33	1343.73	4228.65	1435.29	6137.54	3016.99	6852.27	1255.81

24	केरल	590.92	615.72	606.76	436.60	2286.59	2031.74	2768.28	424.73
25	महाराष्ट्र	5761.67	1785.26	7415.30	1090.56	6187.73	3940.79	17158.08	628.94
26	पंजाब	1280.14	1161.75	1372.64	329.04	3934.19	343.36	4255.40	586.93
27	तमिलनाडु	1746.72	1961.67	907.48	1264.48	7193.91	5775.45	8824.07	2314.01
28	तेलंगाना	1582.83	417.75	852.06	1388.81	3045.94	1587.74	2049.41	857.34
29	पश्चिम बंगाल	3718.45	1979.34	4016.35	3394.70	9058.50	6348.74	12782.80	2274.88
	□□ □□□	19914.36	11985.84	24101.43	12501.85	49069.69	31009.23	65635.83	11427.36
□. □□□□ □□ज□/ □□ □□ज□ क्षेत्र									
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	47.37	10.66	74.65	7.95	32.37	20.50	23.99	11.17
31	चंडीगढ़	15.91	1.87	2.25	0.42	126.57	106.93	1.20	0.12
32	दादरा और नागर हवेली	119.59	9.54	30.24	102.76	124.16	23.37	15.97	0.00
33	दमन और दीव	13.56	4.09	24.38	11.17	30.31	7.02	33.20	0.05
34	दिल्ली	38.45	15.34	203.16	11.08	1523.28	154.58	1839.66	46.29
35	लक्षद्वीप	7.07	0.00	14.30	3.03	45.94	4.42	9.71	1.64
36	पुदुच्चेरी	130.83	132.19	124.74	86.68	320.16	186.59	356.80	13.68
	□□ □□□	372.78	173.68	473.72	223.07	2202.79	503.41	2280.53	72.95
	□□ □□□	43370.82	20936.35	55817.45	24916.06	143718.89	89845.12	149368.93	25303.91

टिप्पणी:

1. एसपीआईपी का अथ राज्य कायक्रम कायान्वयन योजना है।

2. व्यय म कद्रीय निगत, राज्य निगत राशि से व्यय और वष के प्रारंभ म अव्ययित शेष राशि शामिल है। डाटा 30.09.2019 तक अद्यतन है, इसलिए अनंतिम है।

3. उक्त डाटा राज्यों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है, इसलिए अनंतिम है।

*****